



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी०१० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-४९२००५ (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-०७७१-२२८२५३०, २२८५५९० ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. एडी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र०- छ०ग०/कांकेर/लौ०अ०-५/रायपुर

30 छ०ग० ०८००६

दिनांक :— १२/१२/२०१९

प्रति,

श्री मेघपाल सिंह,
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एग्ज़ीक्युटिव निदेशक एवं नॉमिनेटेड ऑनर
सर्वश्री जायसवाल निको ईन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड,
एफ-८, एम० आई० डी० सी० ईन्डस्ट्रीयल एरिया, हिंगना रोड,
नागपुर, जिला — नागपुर, महाराष्ट्र- ४४० ०१६

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में स्थित आपकी लायनडॉगरी लौह अयस्क खदान क्षेत्रफल 14.40 हेक्टेएर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक १३/११/२०१९ को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री टी० प्रसन्ना कुमार, प्रेसीडेंट (माईन्स) एवं खान ऐजेंट की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यौरा
Rule 37(2)	The existing protective measures taken around Waste and Reject Dumps are insufficient and it has been found that the waste materials were escaping and was washing away from the dumps and was contaminating the nearby drainage system. A proper protective measure should be taken to prevent the escape of the material from the existing dumps.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियम ६२ के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियम के अंतर्गत
 - (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
 - (ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
 - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से ४५ दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-४४०००१
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. श्री टी० प्रसन्ना कुमार, प्रेसीडेंट (माईन्स) एवं खान ऐजेंट, दल्ली-भानुप्रतापपुर रोड, पोस्ट- भानुप्रतापपुर, जिला— कांकेर (छत्तीसगढ़), पिन कोड-४९४६६९.

4. सर्वश्री जायसवाल निको ईन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, सिलतरा ग्रोथ सेन्टर, बिलासपुर रोड, सिलतरा, रायपुर (छत्तीसगढ़), पिन कोड-493111

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर